

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4917] No. 4917] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2018/अग्रहायण 22, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2018/AGRAHAYANA 22, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6147(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 394(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987 का निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"15	वैज्ञानिक 'डी' 'ई' और 'एफ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण	संपूर्ण भारत"
	बोर्ड	

[फा. सं क्यू-15014/17/2018-सीपीडब्लयू]

रितेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. संख्यांक 394(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1987 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 237, तारीख 29 मार्च, 1989, का.आ. 656(अ), तारीख 21 अगस्त, 1989, का.आ. 624, तारीख 3 सितंबर, 1996, सा.का.नि. 587(अ), तारीख 1 सितंबर, 2006, का.आ. 2412, तारीख 22 सितंबर, 2009, और 2763 (अ), तारीख 10 नवंबर, 2010 द्वारा संशोधित की गई।

7300 GI/2018 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2018

S.O. 6147(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 394(E), dated the 16th April, 1987.

In the said notification, in the Table, after serial No. 14 and the entries relating thereto, the following serial No. and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"15	Scientist 'D', 'E' and 'F', the Central Pollution Control Board	Whole of India."

[F. No. Q-15014/17/2018-CPW]

RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 394(E), dated the 16th April, 1987 and subsequently amended *vide* S.O. 237 (E), dated the 29th March, 1989, S.O. 656 (E), dated the 21st August, 1989, S.O. 624 (E), dated the 3rd September, 1996, G.S.R. 587 (E), dated the 1st September, 2006, S.O. 2412 (E), dated the 22nd September, 2009, and S.O. 2763 (E), dated the 10th November, 2010.